बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खरीफ विपणन मौसम 2013-14 में धान अधिप्राप्ति के लिए बिहार सरकार के द्वारा 250/- रूपये प्रति क्वींटल बोनस का भुगतान की गई थी तथा धान अधिप्राप्ति के दौरान पैक्सों तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के क्रय केन्द्रों के द्वारा धान अधिप्राप्ति करने के उपरान्त किसानों को भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में कुछ आंशिक राशि (100 करोड़) छोड़कर पूर्व में बोनस राशि का भुगतान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को कर दिया गया था जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निगम द्वारा दिया गया है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि सम्बन्धित किसानों की सूची संबंधित जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पास उपलब्ध है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम ने शेष राशि लगभग 100 करोड़ रूपये भुगतान का अनुरोध किया है। पारदर्शिता एवं भविष्य में बोनस की राशि के भुगतान में अनियमितता रोकने के लिये विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान की गई राशि की जाँच सैम्पुल के आधार पर की जाय। प्राप्त सूचना के अनुसार गत वर्ष 1 लाख 25 हजार 343 किसानों से धान अधिप्राप्ति की गई थी। इसलिए बोनस के मद में हुए खर्च राशि के भुगतान की सत्यता जानने के लिए आवश्यक है कि पैक्सों तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों को दी गई बोनस की राशि की जाँच नमूने के आधार पर संबंधित किसानों के गाँवों में जाकर की जाए इसके लिए निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं :-

1. पैक्सों एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पास सूची में से ऐसे किसानों का नाम का चयन किया जाय जिनसे 50 क्वींटल या उससे अधिक खरीफ विपणन मौसम 2013-14 में धान अधिप्राप्ति की गई थी। ऐसे किसानों (जिन्होंने 50 क्विंटल से ज्यादा धान दिया है) के निवास स्थल पर जाकर पैक्सों के द्वारा की गयी धान अधिप्राप्ति में संबंधित क्षेत्र के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी शत-प्रतिशत तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किए गए धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान किये गये बोनस के संबंध में जाँच करेंगे।
2. संबंधित जिला के सहकारिता पदाधिकारी अपने-अपने जिलों के क्षेत्राधिकार में यादृच्छिक (Random) तरीके से कुल लक्षित किसानों का 25% का निश्चित रुप में पूर्नजाँच करेंगे तथा सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के द्वारा किए गए जाँच की सत्यता के बारे में प्रतिवेदन देंगे।
3. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए जाँच का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर (Random Basis) औचक के आधार पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जिनको जिला आवंटित है, 5 प्रतिशत पुर्नजाँच कर जाँच प्रतिवेदन देंगे।
4. जिला के सभी समाहर्त्ता अपने-अपने जिले के वरीय उप-समाहर्त्ता को उपर्युक्त सूची में से ऐसे किसानों की जिनसे 50 क्वींटल या उससे अधिक धान अधिप्राप्ति किया गया है, Random Basis पर किसानों को भुगतान किए गए बोनस के सम्बन्ध में शत प्रतिशत जाँच करवायेंगे तथा अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगे।
5. संयुक्त निबंधक अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जहाँ जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जाँच की गई है उनका 2 प्रतिशत पुर्नजाँच करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु निबंधक, सहयोग समिति को प्रतिवेदन देंगे।

2. यह सम्पूर्ण जाँच की प्रक्रिया 2 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय जिसके लिए समन्वय करने हेतु पैक्सों के द्वारा धान अधिप्राप्ति के संबंध में सहकारिता विभाग के लिए संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम जिम्मेवार होंगे।

3. जाँच के दौरान कोई भी अनियमितता पाये जाने पर संबंधित पैक्सों के पदाधिकारियों एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारियों के विरूद्ध संबंधित पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे जिसमें बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के संबंध में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम और सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में जिला सहकारिता पदाधिकारी करेंगे।

4. **''खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में किसानों को 300/- रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस भुगतान करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि बोनस की राशि सही किसान को मिले। धान अधिप्राप्ति के लिये बोनस एवं मूल्य के भुगतान के संबंध में जाँच की प्रक्रिया खरीफ विपणन मौसम 2014-15 के लिये वही मानक एवं प्रक्रिया होगी, जो 2013-14 के लिये उपरोक्त कंडिकाओं में निर्धारित है।'' परन्तु स्थानीय पदाधिकारियों यथा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा शत प्रतिशत जाँच किया जायेगा ।**

5. उपयुक्त कार्रवाई के प्रस्ताव पर निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

Hemraj 21/1/2015
(हुकुम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 666 खाद्य, पटना/दिनांक- 21.01.15
प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 21/1/2015

ज्ञापांक - 666 खाद्य, पटना/दिनांक- 21.01.15
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ।

सरकार के सचिव। 21/1/2015

ज्ञापांक - 666 खाद्य, पटना/दिनांक- 21.01.15
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 21/1/2015

ज्ञापांक - 666 खाद्य, पटना/दिनांक- 21.01.15
प्रतिलिपि - माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मा0 मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ ।

सरकार के सचिव। 21/1/2015